(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT NOTIFICATION

1. AGRICULTURE

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III

Dated Shimla-2 22-07-2017

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "**Agriculture**" may be revised with effect from 1-4-2017;

AND WHEREAS, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 5 of the Act, ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1-4-2017.

Un-skilled workers Rs. 210/- per day or Rs. 6300/- per month.

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:--

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT NOTIFICATION

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III

Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred of by subsection (2) of section 5 of the Act, ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Category of Workers

Revised Wages

Daily Monthly

1

2 3

UN-SKILLED WORKERS:			Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimini Cleaner/ Cl	howkidar/	Distemperer	210.00	6300/-
Grade-II/Glazier/Helper fe	for Plui	mber or		
Workshop/Rock Cutting Labou	ur/Stone Bi	reaker/Stone		
Chiseler/Sweeper/Spray m	nan for	Bitumen/		
Pipelinemen /Electrical Coolie	/Security G	uard/Beldar		

/Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor Boy/ /Survey Watchmen/ Tea Oilmen/Greaser/ boy/Peon/Dresser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker

SEMI-SKILLED WORKER:

Rupees Rupees

Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer 227.00 6810/-Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/ Caneman/ Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Assistant Welder/ Assistant turner/ battery Charger/ Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jubliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Carrier 1½ inch to 2 inch = Rs. 1319 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 1473 per 100 cf

SKILLED WORKERS:

Rupees Rupees

7625/-

Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / 254.17
Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Astt. Pump
Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chargeman
Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/
Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or
Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher
Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber
Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt.

Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Grade-II/ Workshop Fitter Fitter Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter / Miller / Climber/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi(8 years to above) /Tracer Operator/ E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Forman Grade-II/Wireless Operator.

HIGHLY SKILLED Rupees Rupees

9435/-

Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic 314.50
Grade-I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman
Grade-I/TurnerGrade-I/Mechanic All Round Operator
/Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter
Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/
Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller
Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/
Electrician/ Chemical Analyser.

Bituman Tyre	Inspector/Road	Inspector	:/Work	254.17	7625/-
Inspector/ Sto	re Keeper/	Store M	unshi/		
Supervisor/Meter	Reader/ Ledger E	Booking Cler	k/ Bill		
Clerk/ Irrigation	Booking Clerk/ P	atwari/ Con	nplaint		
Attendant/ Ferro	Printer/ Driver	(Jeep/Car/T	ractor)		
Clerk/ Mechanic	cal Inspector /	Assistant	Store		
Keeper/Accounts	Clerk/Stenographo	er.			

Rupees

Rupees

Clerical and non Technical Supervisory Staff

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
 - 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

(i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, require experience of little or no

independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii).Semi-skilled: -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the

22-07-2017

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III

Dated Shimla-2 22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "**Public Motor Transport**" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **1**st **April**, **2017**;

AND WHEREAS, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Subsection (2) of section 5 the Act, ibid the Governor Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

General Staff Unskilled Rs.210 /- per day, Rs.6300/- per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter, Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)

Workshop Mazdoor without having any experience

Rs. 210/- per day, Rs. 6300/- per month

Semi-skilled

Rs.220.17 per day, Rs.6605/- per month

- 1. Asstt. Electrician
- 2. Asstt. Mechanic
- 3. Asstt. Fitter

- 4. Asstt. Black Smith
- 5. Asst. Carpenter
- 6. Asstt. Welder
- 7. Asstt. Turner
- 8. Asstt. Boaring Barman
- 9. Asstt. Machinist
- 10. Asstt. Cushion Maker
- 11. Asstt. Volcanisor
- 12. Asst. Painter
- 13. Asstt. Upholster
- 14. Asstt. Tyreman
- 15. Asstt.Sprayman
- 16. Asstt. Electrician Mechanic
- 17. Asstt. Retrader
- 18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
- 19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring Rs. 246.52 per day or Rs. 7396/- per month. Tinsmith. wireman, Machanist, Cusion Maker. Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader. Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Rs. 280.50 per day or Supervisor Rs. 8415/- per month.

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Rs. 246.52 per day or Rs. 7396/-per month.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker,
Stenographer A Grade, Station Supervisor,
Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant,
Cashier, Tyre Inspector.

Rs.262.52 per day or Rs.7876/- per month.

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

Rs.321.25 per day or Rs. 9638/-per month.

RUNNING STAFF	Per Day Per month
1.Driver	Rs.284.12 Rs. 8524/-
2.Conductor	Rs.253.60 Rs. 7608/-
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs.233.12 Rs. 6994/-
4.Part-Time Booking Clerk	Rs.103.72 Rs. 3112/-

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be

- paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that (i). involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- **Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally (ii) of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working (iii) of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab.& Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

the

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2

22-07-2017

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla-2.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III

Dated Shimla-2 22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Shops & commercial Establishments" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 the said Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Category of employees	Where no	Where food, tea &
	benefit is	combined
	provided	accommodation
		provided

Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/		
Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/	Rs.210/-Daily	Rs 184.47 Daily
Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/	, ,	Ç
Lander/ Unlander/ Messanger/ Clock Room		
Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/	Rs.6300/- Monthly.	Rs. 5534/- Monthly
Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other	monuny.	

worker doing unskilled job.

Semi-Skilled	Rupees	Rupees	
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/	Rs.225.55	Rs. 199.12 Daily	
Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper	Daily.		
(Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant	Rs. 6767/-	Da 6000 / Monthly	
Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector	Monthly.	Rs.6000/- Monthly	
/Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book			
Binder/ Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners			
/Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant			
Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/			
Assistant/Welder/ Assistant Electrician/			
Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/			
Dhobi, Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/			
Waiter, Bearer), Assistant Radio			
Machanic/Painter/ WhiteWasher/Pakora and			
Chanamaker/Clerk (Non-matric), Assistant			
Store Keeper/ Distributor and Assistant			
Machine man. Enquiry Attendent/ Telephone			
Attendent, ITI Certificate Holder.			

Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio	Rs.254.17	Rs. 228.37 Daily
Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/	Daily.	
Assistant Tailor/Cutter (Tailoring) /General		
mechanic/ Halwai/ Cook/	Rs. 7625/-	
Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/	Monthly.	Rs.6851/- Monthly.
Draughtsman/TelephoneOperator/	Wolftiny.	
Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker /		
Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/ Cinema		
Operator/Salesmen/Drycleaner/Dyer/		
Barber/Regular machine man/ machinist /		
Welder/Moulder/Cashier/		
Clerk/(Matric) Munim /receptionist/ Waiter/ Bearer/) / Storekeeper/ headwaiter /Head		

bearer (Western Style Hotels)/Lineman.ITI certificate holder who are working in the same trade.

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant	Rs.267.12	Rs. 242.40 daily
/Head Cashier/ Head Cook/ Head	Daily.	
Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head	Rs. 8014/-	Rs.7272/- Monthly
mechanic/ Electrician/ Foremen/	Monthly	RS.1212/ Wollding
Supervisor. / Tailor / Cutter (Tailoring)		

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i) Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- **(ii) Semi-skilled:** -- A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of

the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- **(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla-2.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-PartIII dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

5. FORESTRY INDUSTRIES

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III

Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Forestry Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages		
	Daily	Monthly	
UNSKILLED WORKERS			
1 Felling of trees:	Rs.210.00	Rs.6300/-	
1.Lopper (Changi) 2.Feller (Garani)	Rs.225.55 Rs.216.12	Rs.6767/- Rs.6484/-	

2 Logging and sawing including timber passing:

	1.Dresser (Panchani)	Rs.216.12	Rs.6484/-
	2.Sawyer (Charani)	Rs.280.50	Rs.8415/-
	3.Blacksmith		
		Rs.259.40	Rs.7782/-
3	Carriage stacking and timber passing by man	ual labour:	
	1. Mazdoor for carriage	Rs.216.12	Rs.6484/-
	2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs.216.12	Rs.6484/-
4	Carriage of timber by Aerial ropeways:		
	1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.280.50	Rs.8415/-
	2.Span Mistry	Rs.259.40	Rs. 7782/-
5	Carriage by water slide (pucci Nalli) dry s	lide (Pathru). N	iullah Rhaan
	Darya Bahaan (River floting):		
	1. Mohri-wala Mistry	Rs.305.15	Rs.9155/-
	2. Taru	Rs.290.27	Rs.8708/-
	3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs.267.12	Rs.8014/-
	4. Darya-man	Rs.290.27	Rs.8708/-
	5. Ghalu	Rs.237.17	Rs.7115/-
	6. Jamadar	Rs.237.17	Rs.7115/-
6	Mechanised logging and timber extraction:		
	1.Surveyor	Rs.282.57	Rs.8477/-
	2.Ski-line Operator	Rs.259.40	Rs.7782/-
	3 Truck Driver	Rs.239.30	Rs.7179/-
	4. Compressor Driver	Rs.239.30	Rs.7179/-
7	Clerical Staff:		
	1.Manager	Rs.335.12	Rs.10054/-
	2.Accountant	Rs.243.97	Rs.7319/-
		10.57	-10010/

3.Munshi/ Typist clerk	Rs.216.12	Rs.6484/-
------------------------	-----------	-----------

8. Saw Mill Workers:

	1.Band Saw Mistry	Rs.259.40	Rs.7782/-
	2.Supervisor	Rs.256.29	Rs.7689/-
	3.Head Mistry	Rs.259.40	Rs. 7782/-
	4.Boiler Driver	Rs.259.40	Rs.7782/-
	5.Assistant Mistry	Rs.220.17	Rs.6605/-
	6.Planner Mistry	Rs. 220.17	Rs.6605/-
	7.Helper	Rs.216.12	Rs. 6484/-
	8.Cutter man	Rs. 216.12	Rs. 6484/-
9	Katha Extraction:		
	1 Feller and Chinner	Rs.216.12	Do 6/19/1/
	1.Feller and Chipper	RS.210.12	Rs. 6484/-
	2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs.215.55	Rs.6467/-

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs.314.50. Daily. Rs.9435.00 Monthly.

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be

- paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i) Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- **(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- **(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

- Copy for information and necessary action to:1.The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P., Shimla-2.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh-2.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III

Dated Shimla-2 22-07-2017

WHERES, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Chemical & Chemical Products" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 210.00 Daily.
	Rs. 6300/- Monthly.

Semi Skilled

Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Rs. 218.47 Daily.

Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Rs. 6554/- Monthly.

Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith,

Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant ,

Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board

Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller/Empular, Hageman. ITI Certificate Holder.

Skilled

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Rs. 254.17 Daily.

Moulder, Blacksmith, Plant operator, Mason, Rs. 7625/- Monthly.

Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler

Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician

Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant

Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate),

Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I.

certificate holder who are working in the same trade.

Highly Skilled

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman Rs. 314.50 Daily.

Rs. 9435/- Monthly.

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribe Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i) Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- **(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- **(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(IV). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. Labour Commissioner-cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

7. ENGINEERING INDUSTRIES

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III

Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Engineering Industries" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW THEREFORE, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Un-Skilled

Rs.210.00. Daily.Rs.6300/-Monthly.

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Rs. 218.47 Daily. Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Rs.6554/-Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Monthly. Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler

Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III,

Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame

Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Bookscrew Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Rs.254.17 Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Daily.Rs.7625/-Monthly

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper Rs. 314.50 Daily. man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I. Rs.9435/-Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Monthly. Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker

Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter

Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 230.02 Daily.

Rs.6901/-Monthly.

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribel Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

(i)Un Skilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab.& Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-III dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

8. TEA PLANTATION

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III

Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "**Tea Plantation**" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1**st **April**, **2017**;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Category of Workers

Revised Minimum Wages

Field workers in Tea Plantation employed on Rs. 210.00 Daily or plantation up rooting, spraying, manufacturing, Rs. 6300/- Monthly. shade lopping, hocing ,pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;

A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Enhancement in rate 72/-Paise Per KG Rs. 15.20 per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Enhancement in rate 60/-Paise Per KG Rs.15.20 11.80 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Enhancement in rate 60/-Paise Per KG Rs 8.52 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 15.20, Rs. 11.80 Rs. 8.52 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs.214.56 per day, Rs.6437/- per month

FACTORY:

Include lift Mazdoor withering Mazdoor, Rs. 210-00 daily

relling room workers, shifting Mazdoor, Rs. 6300/- Monthly.

Fermenting room workers, tea boys,

sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Rs. 210-00 daily

Muharirs etc. who maintain records of a field work Rs. 6300/- Monthly.

and also includes sweeper, Mali & Mate.

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1. Accountant	Rs. 355.22	Rs.10,657/- per month	plus	
		free accommodation		

2. Clerks Rs. 254.17 Rs.7625/- per month plus free

accommodation

3. Munshi Rs. 269.53 Rs.8086/- per month plus free

benefits as admissible to clerk

4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary Rs.214.57 Rs.6437/- per month plus free

benefit as admissible.

Daily Monthly

5. Compounder	Rs.324.27	Rs.9728/-
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)	Rs.284.12	Rs.8524/-
7. Mechanic,	Rs.327.40	Rs.9822/-
8. Assistant Mechanic	Rs.282.57	Rs.8477/-
9. Electrician-cum- Mechanic, Grade-I	Rs.327.40	Rs. 9822/-
10.Electrician-cum- Mechanic, Grade-II	Rs.282.57	Rs.8477/-

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P. Chief Secretary to the Govt. of H.P.Shimla-2
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.

- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Partfile dated 22-07-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III Dated Shimla-2 22-07-2017 WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 the Act, ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Un-skilled Workers Rs. 210.00 per day or Rs. 6300/- per month

Semi-skilled Rs. 218.47 P.D. or Rs. 6554/- per month

Skilled & clerical staff Rs. 254.17 P.D. or Rs. 7625/- per month

Highly-Skilled Rs. 314.50 P.D. or Rs. 9435/- per month

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribe Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i) Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- **(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- **(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P..
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

10. HOTEL AND RESTAURANTS

No.Shram (A)4-8/2006-Part-III

Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Hotel and Restaurants may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/	Rs. 210-00 Daily	Rs 184.47 Daily
Sweeper/ Masalachi/ Gateman/		
Waterman/ Messenger/ Clock Room		

Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/ Rs. 6300.00 Monthly Rs.5534/- Monthly Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.

SEMI-SKILLED WORKER: Rupees Rupees Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Rs. 225.55 Daily Rs 200.11 Chapatiman / Assistant Baker/Cook/ Assistant Rs. 6767/- Monthly 6003/- Monthly. Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner / Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi, Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric), Assistant Store Keeper/Distributor and Assistant Machinman. Enquiry Attendant, Telephone Attendant.ITI certificate holder who are working in the other trade.

SKILLED WORKERS: Rupees. Rupees. Driver/Halwai/Cook/Confectioner/ Rs. 254.17 Daily Rs.228.37 Daily Baker/Steward/Butler/Draughtsma n/TelephoneOperator/Receptionist/ Waiter/Bearer/Store Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western Style

Hotel.) ITI certificate holder who are working in the same trade.

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates)	Rs. 267.12 Daily	Rs. 242.40
Accountant /Head Cashier/ Head		
Cook/ Head Butler/Head Baker/	Rs.8014/- Monthly.	7044 / Monthly
Head Confectioner/Head mechanic/	Rs.8014/ - Molitiliy.	7244/ - Monthly.
Electrician/ Foremen/ Supervisor./		
Tailor/Cutter (Tailoring)		

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) **Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of

the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His

work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- **(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla-2.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

No.Shram (A)4-8/2006-Part_III

Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "**Private Educational Institutes**" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017.

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Un-skilled Workers Rs. 210.00 per day or Rs. 6300/- per month

Semi-skilled Rs. 225.55 P.D. or Rs. 6767/- per month

Skilled Rs. 254.17 P.D. or Rs. 7625/- per month

Highly skilled Rs. 267.12 P.D. or Rs. 8014/- per month

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961)

- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i) Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- **(ii) Semi-skilled:** A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-III Dated Shimla-2 the **22-07-2017**

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

12. Hydro Power Projects

No. Shram (A) 4-8/2006-Part-III Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Hydro Power Projects**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 of the Act, ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Category of Workers

Minimum Wages

Monthly

Daily

UN-SKILLED WORKERS:	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete	210.00	6300/-
Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR		
Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to		
Excavator Operator, Helper to Concreting Plant		
Operator, Helper to Loader Operator, Helper to		
TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to		
Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto		

Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to

Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Cleaner-cum-Beldar, Washerman Pujari, / Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump 227.00 Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Nozzleman, Operator, Junior Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Gauge Reader, Time Diesel Assistant, Keeper, Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office

6810/-

Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Elctrician, Mali

SKILLED WORKERS:

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, 254.17 Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambu Operator, Mechanic, Turner, Welder, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor(Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Experience), Dhobi.

HIGHLY SKILLED

Operator, Senior Batching Plant 314.50 Senior Crane Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior

7625/-

9435/-

Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i)Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- **(ii).Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- **(iii)Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

 By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017** Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. Chief Secretary to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 5. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 8. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 9. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 10. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10 Guard File

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

13. Pharmaceuticals' Industries

No.Shram (A) 4-8/2006-III Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Pharmaceuticals' Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Category of Workers	Minimum	Wages
	Daily	Monthly
Unskilled Packing Helper, Machine Helper,	Rs.210.00	Rs.6300/-
Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping		
Helper, Peon.		

Semi Skilled

Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance Rs.218.47 Rs. 6554/-(ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint

Attendant.

Skilled

Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Rs. 254.17 Rs. 7625/-Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.

Highly Skilled:- Sales Officer, Sales Executive, Sales Rs. 314.50 Rs. 9435/-Promotion Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist, Stenographer.

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act,1961(Act No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- **(ii) Semi-skilled:** A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- **(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(IV). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017** Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hospitals/Nursing Homes & Clinics" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017.

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Category of employees	Where no benefit	Where food, tea
	is provided	& combined
		accommodation
		provided

Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar/Watchman,		
Peon, Room Boy, Office Boy, Ward Boy,	210.00	184.47Daily.
Masalchi.	6300/- Monthly.	5534/- Monthly

Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Tec	225.55 Daily.	199.12 Daily.
Security Guard, Sweeper, Operation		
Assistant, Assistant Storekeeper, Assistan	1 6767 / Monthly	5974/- Monthly.
Munshi, Complaint Attendant.	6767/- Monthly	5914/- Montiny.

Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder,	254.17 Daily.	228.37 Daily
Laboratory Technician, X-Ray Technician,		
ANM, Trained Dai, Electrician, Radio	7625.00 Monthly	6851/- Monthly.
Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room		
Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant		
Operator, Heating Plant Controller Assistant,		
Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre		
Technician, Eye Refractionist, Storekeeper,		
Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator,		
Data Entry Operator, Cashier, Fitter,		
Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi.		

Highly Skilled	Rs. Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Security	nior 267.12 Daily. 242.40 daily
Electrician, Senior Technician, Se	nior
Radiographer, Senior Compoun	der. 8014/- 7272/- Monthly.
Accountant, Stenographer	Monthly

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i) Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- **(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- **(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated: Shimla-2 the

22-07-2017

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. to the Chief Secretary to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 5. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.

- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 8. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 9. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 W.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 10. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 11. Guard File

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

15. Domestic Workers

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Domestic Workers**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017.

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman,	210.00 Daily	156.00 Daily.
Washer man	6300.00 Monthly.	4680/- Monthly.

Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard, Mali	225.55 Daily.	166.88
	6767/-Monthly	Daily5006/- Monthly.
		1.101101111111
Skilled:	Rs.	Rs.
Skilled: Cook, Driver	Rs. 254.17 Daily.	Rs. 186.92 Daily

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4.If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i) Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- **(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- **(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated: Shimla-2 the

22-07-2017

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

16. Safai Karamchari Employment

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Safai Karamchari Employment" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND, WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THERFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Category of V	Workers		Minimum V	Vages
			Daily	Monthly
Unskilled:-	Sweeper/Safai	Karamchari,	Rs. 210.00	Rs.6300/-
Beldar, Cartm	ian,			

Semi Skilled

Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Rs.218.47 Rs. 6554/-Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant. **Skilled** Rs 254.17 Rs. 7625/-

Driver, Mason, Plumber,
Storekeeper, Accounts Clerk, Computer
Operator, Data Entry Operator, Cashier.

Highly Skilled

Jr. Engineer, Sanitary Inspector, Rs. 314.50 Rs. 9435/-Stenographer,

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(Act No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i) Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of

the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- **(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(IV). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017** Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

17. Security Services

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III Dated Shimla-2

Security

Supervisor,

Head

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Security Services" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June, 2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

Un-Skilled	l			Daily	Monthly
Helper, Wa	atchman			Rs. 210.00.	Rs.6300/-
Semi skill	ed				
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant			Rs. 218.47	Rs.6554/-	
Store Munshi, Complaint Attendant.					
Skilled					
Security	Supervisor	Head	Watchman	Rs. 254.17	Rs.7625/-

Watchman,

Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.

Highly Skilled

Security Officer, Security Manager, Steno_{\(\beta\)} Rs.314.50 Rs.9435/-Accountant.

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices Shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4.If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5.20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

(i)Skilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the

occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab.& Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated: Shimla-2 the

22-07-2017

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10.Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-III Dated Shimla-2

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Temples and Religious Places/Dharamshalas" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND WHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs	Rs
Peon, Masalchi, Office Boy, Beldar.	210.00 Daily	184.47 Daily
	6300.00 Monthly	5534/- Monthly.

Semi-Skilled	Rs	Rs	
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior	225.55 Daily	199.12 Daily	
Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog	6767/- Monthly	5974/- Monthly	
Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar,			
Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper,			
Assistant Store Munshi, Complaint			
Attendant.			

Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari,	254.17 Daily	228.37 Daily
Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Padri,	7625/-Monthly	6851/-Monthly
Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk,		
Computer Operator, Data Entry Operator,		
Cashier.		

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri,	267.12 Daily.	242.40 daily
Bhajan, Singer, Stenographer, Accountant.	8014/- Monthly	7272/- Monthly.

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i) Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- **(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated:- Shimla-2 the **22-07-2017** Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8 The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9 All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10 Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

19. Workers Working in Toll Tax Barriers

No. Shram (A) 4-8/2006-Part-III Dated Shimla

22-07-2017

WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Workers Working in Toll Tax Barriers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2017;

AND HHEREAS, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

AND WHEREAS, a meeting of the said committee was held on 27-04-2017 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by subsection (2) of section 5 of the Act ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2017 as under:-

	Minimum Daily	Wages Monthly
Un-skilled Workers :- Peon, Office Boy, Masalchi.	Rs.210.00	Rs. 6300/-
Semi-skilled:- Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard, Complaint Attendant.	Rs. 218.47	Rs. 6554/-
Skilled: Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 254.17	Rs. 7625/-

Highly-Skilled:-

Supervisor, Superintendent, Rs. 314.50 Rs. 9435/-Stenographer, Accountant.

NOTE

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
 - 2. Wages of Apprentices Shall be regulated under the Apprenticeship Act 1961(Act No. 52 of 1961).
 - 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
 - 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
 - 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- **(i) Unskilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- **(ii) Semi-skilled:** -- A semi skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- **(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and

comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Pr. Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-III, Dated: Shimla-2 the

22-07-2017

Copy for information and necessary action to:-

- 1. The Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2. The Sr. Special PS to the Hon'ble Labour & Employment Minister, H.P.
- 3. The Sr. Spl. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 6. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8 The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./2017 dated 23-05-2017 with 10 spare Copies.
- 9 All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10 Guard File.

हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग अधिसूचना कृषि

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीखः शिमला–2

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कृषि" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8 / 2006—पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में, कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार : 210 / - रूपए प्रतिदिन या 6300 / - रूपए प्रतिमास

टिप्पण:

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
- 3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4. हिमाचल प्रदेश में जन—जातीय क्षेत्रों में, मज़दूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी / वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी: -

अकुशलः अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है । अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6. अतिरिक्त विधि परामर्षी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि०प्र० सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23—05—2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार फोन न0 0177–2620672

अधिसूचना

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियांए पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (कृशिंग)

संख्याः श्रम (ए) <u>4-8 / 2006-</u>पार्ट-111 तारीखः शिमला-2 22**-07-2017**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **सडकों** का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुडान और पत्थर पिसाई / (कृशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8 / 2006— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित	मजदूरी
	दैनिक	मासिक
1.	2	3
.अकुशल कर्मकारः	रुपए	रुपए
<u>भिशती / चिमनी</u> $\frac{1}{2}$	210.00	6300.00
/पलम्बर या—वर्कशाप हैल्पर/रॉक कटिंग लेबर/स्टोन <u>ब्रेकर/स्टोन</u>		
चिस्लर / स्वीपर / बिटुमन के लिए स्प्रे <u>मैन / पाइप</u> लाईन मैन / इलैक्ट्रिकल		
कुली /सिक्योरिटी-गार्ड /बेलदार/ ट्रैक्टर / रोड़ रोलर व कंकरीट		
मिक्सर का क्लीनर / मजदूर सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय /		
पीअन(चपरासी) / ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय		
हैल्पर (0 से 5 साल) / खलासी (0 से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/		
मक्कर ।		
अर्धकुशल कर्मकारः	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड—II / मैसन ग्रेड—— II / स्यूअर मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड—II	227.00	6810.00
/ सैनिटरी फिटर ग्रेड— II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे–मैन रोडज/		
क्रेन-मैन / बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट / ब्लैक स्मिथ (बोट		

मैन) / क्रेन-मैन / डिस्टैम्परर ग्रेड-I /फिटर ग्रेड-II फलोर-पालिशर

/ स्टोन ड्रेसर /माली / बैल-सिंकर / वाइट-वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड— II , टर्नर-ग्रेड— II / पाइप फिटर ग्रेड— II / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलंडर / सहायक टर्नर / बैटरी चार्जर / ड्रैसर (अर्हित / अनुभवी) / हैमरमैन / कुक / वल्कनाईज़र / नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रॉली आपरेटर / एटेन्डैन्ट (स्टोर आफिस) / मकैनिकल एटैन्डैन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 साल और अधिक) / आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैंड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन-ड्रैसर / पम्प-एटैन्डेन्ट / ऑटो इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-II / गार्डनर / गेज-रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट / ऑटो इलैक्ट्रिशियन / मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट ।

स्टोन-ड्रैसर / स्टोन-ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन-कैरियर

1—1 / 2"से 2 इंच रुपए 1319.00 घन फुट 1 से 1 / 4" इंच रुपए 1473.00 प्रति घन फुट रु.. पै. रु.. पै.

7625.00

कुशल कामगारः

कारपेन्टर ग्रेड-I / मैसन ग्रेड-I / ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड-I 254.17 /अप-होलसल्टर ग्रेड-I / सहायक पम्प ऑपरेटर / पम्प ऑपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैनग्रेड.<math>-II/जल आपूर्तिफिटर/ कारपेन्टरग्रेड-II/ कॉम्प्रेसर ऑपरेटर / कॉम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड-I/दर्जी या टेलर ग्रेड–II / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन–ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड-I / पाईप फिटर ग्रेड-I / ऑटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर–आपरेटर / संरचानात्मक फिटर ग्रेड–II / वर्कशाप फिटर / जनरेटर ऑपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कृशिंग प्लांट फिटर / बी. प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर /शेपर / ऑटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रिजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर–आपरेटर/ शाफट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर ऑपरेटर / रोकलेन ऑपरेटर /सकेपर-आपरेटर /लोडर ऑपरेटर / केन-ऑपरेटर / युकलिड-ऑपरेटर / वैगन ड्रिलआपरेटर / बोरिंग-आपरेटर / एस.एल.डी. क्रेन आपरेटर/ (बी.) प्लांट–आपरेटर / आइस प्लांट ऑपरेटर या वैल्डर /गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ /टिन स्मिथ / ट्रैक्श्न वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर /बिन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर /क्लाइमबर / मोल्डर /लेबलरज सॉ मिल कटर/केबल जवाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड— ।। / खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर ऑपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कमप्रेसर/ रॉकर शावल ऑपरेटर / स्नो कटर ऑपरेटर / लोको-ऑपरेटर गलेजड टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट ऑपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड-।। वायरलैस ऑपरेटर

उच्च कुशलः रु.. पै. रु.. पै.

केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड-I/ चार्ज मैन 314.50 9435.00 ग्रेड-I/ वर्कशाप फोरमैन ग्रेड-I/ टर्नर ग्रेड-I/ मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड-I/ सर्वेयर / ड्राफटस-मैन / सहायक फोरमैन / मकैनिस्ट/ कम्पाउन्डर (और्हेत) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राईवर/ वायरमैन / आटो इलैकट्रीशियन/ इलैक्ट्रीशियन/ कैमिकल एनालाइजर I

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफः

रुपए रुपए 254.17 7625.00

बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी / सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क /बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्पलेंट एटैन्डेन्ट / फैरो-प्रिटंर / ड्राइवर (जीप / कार /ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।

टिप्पण:

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर जन—जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निमाणधीन हाइड्रों इलैक्टिक जल विद्युत परियोजनाओं में कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111 तारीख शिमला -2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6. अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि०प्र० सरकार शिमला—2 ।
- 7. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23—05—2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10. गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार फोन न0 0177.2620672

3- मोटर परिवहन

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीखः शिमला–2

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **लोक मोटर परिवहन** के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2016 से सशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8/2006— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.4.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल सामान्य कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ)ः

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर—हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर, दफ्तरी ।

रुपए रुपए

210 / -प्रतिदिन 6300 / -प्रतिमास

(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल)

वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नही है ।

रुपए रुपए

210 / -प्रतिदिन 6300 / -प्रतिमास

अर्घ-कुशल रुपए 220.17 रुपए

प्रतिदिन 6605 / —प्रतिमास

- 1. सहायक इलैक्ट्रीशियन
- 2. सहायक मकैनिक
- 3. सहायक फिटर
- सहायक ब्लैक स्मिथ
- 5. सहायक कारपेंटर
- सहायक वैल्डर
- 7. सहायक टर्नर
- सहायक बोरिंग बारमैन
- 9. सहायक मशीनिस्ट
- 10. सहायक कुशन-मेकर

- 11. सहायक बोल्केनाइजर
- सहायक पेंटर 12.
- सहायक अपहोलस्टर 13.
- सहायक टायरमैन 14.
- सहायक स्प्रेमैन 15.
- सहायक इलैक्ट्रीशियन मकैनिक 16.
- सहायक रिट्रीडर 17.
- वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का 18. सर्टिफिकेट हो या दो वर्ष का प्रोवेशन पीरियड हो,या जिसके पास कोई आई०टी०आई० का डिप्लोमा न हो ।
- 19. सहायक मोल्डर ।

कुशलः

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वॉलकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन, स्प्रे पेंटर, , इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या का प्रोवेशन पीरियड हो दो वर्षों का जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो या । आई.टीआई .सर्टिफिकेट घारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है । उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफः

रू 246.52 प्रतिदिन रु₀7396.00 प्रतिमास

हैड मकैनिक, कॉरबोरेटर / हैड इलैक्ट्रीशियन / गैरेज रू० 280.50 प्रतिदिन सुपर वाईजर ।

৳。8415..00 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रुप -ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे रू0 246.52 प्रतिदिन बुक राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर), लैजर रु. 7396.00 कीपर, पैट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

प्रतिमास

ग्रप-बी:

मुख्य—निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड / रू० 262.52 प्रतिदिन स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक ।

रु。 7876.00 प्रतिमास

ग्रूप-सीः

हैंड एसिस्टैण्ट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर ।

रू0 321.25 प्रतिदिन रु。 9638.00 प्रतिमास

रंनिग—स्टाफः

1 ड्राइवर रू. ० 284.12 प्रतिदिन रु. 8524.00 प्रतिमास 2 कन्डकटर रू. ७० 253.60 प्रतिदिन रु. 7608.00 प्रतिमास 3 कलीनर कम कन्डकटर रू. ० 233.12 प्रतिदिन रु. 6994.00 प्रतिमास 4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क रू. 3112.00 प्रतिमास

टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।
 - अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निन्म प्रकार से होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं।इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके।

वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

शिमला-2

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः श्रम (ए) <u>4-8 / 2006</u>-पार्ट-111 तारीखः

22**-07-2017**

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिंमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि०प्र० सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177.2620672

अधिसूचना

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक स्थापन

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीखः शिमला –2

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **दुकानों एवं वाणिज्य स्थापनों** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8 / 2006— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मचारियों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय, और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास, सुविधा गई है उपलब्ध करवाई गई है

रुपए

184.47 दैनिक

रुपए 5534.00 मासिक

अकुशलः

हेल्पर /शॉप-ऐसिस्टैंट / पल्लेदार / रुपए 210.00 दैनिक चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची रुपए 6300.00 मासिक / गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर / मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मसेंजर / क्लाकरूम अटेंडेन्ट /पोर्टर/भिस्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो । अर्धकुशलः. हैडपोर्टर / पैटरीमैन / काफी टीमेकर / चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर (सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक –आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट बिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / एसिटैंट-हल वाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर / रूलिंग-कटिंग औक्शनर / माली / सीवरमैन / होटल–गाईड / सहायक मिस्त्री / सहायक–फिटर / सहायक—टर्नर / सहायक—वैल्डर सहायक-इलैक्ट्रीशियन / सहायक-सेल्जमैन / सहायक—बारबर / धोबी / प्रैसमैन / ब्वायलर–मैन / फिल्म–रिवांइडर/वेटर/ वीयरर / ऐसिसटैंट रेडियो मकैनिक / पेंटर /वाईट वॉश्र / पकौड़ा और चना मेकर / कलर्क / (नॉन मेट्रिक) सहायक स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन / इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट 'आई.टी.आई प्रमाण पत्र / (सर्टिफिकेट) धारक।

225.55 प्रतिदिन तथा 6767.00 रू. प्रतिमाह 199.12 प्रतिदिन तथा 6000.00रू。 प्रतिमाह

क्शल:

ब्लैक स्मिथ / टीनस्मिथ / वाचमेकर / रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / रुपए 254.17 दैनिक रुपए 228.37 दैनिक ड्राइवर / सहायक टेलर / कटर(टेलरिंग) / रुपए 7625.00 मासिक रुपए 6851.00 मासिक जनरल मकैनिक / हलवाई कुक / कन्फैक्शनर / बेकर/ स्टुवार्ड / बटलर/फिटर / टेलीफोन-ओपरेटर ड्राफटसमैन / कम्पाउंडर / गोल्डिस्मथ / शू-मेकर / शाल कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / डायर / बारबर /रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर/ कैशियर/क्लर्क (मैट्रिक)/ मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर / वियरर स्टोर-कीपर / हैड वेटर / हैड-वीयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल)/ लाइनमैन आई०टी०आई० प्रमाण पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

उच्च–कुशलः

```
स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) / लेखाकार 267.12 दैनिक 242.40 दैनिक / मुख्य खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर 8014.00 मासिक 7272.00 मासिक / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक / इलैकट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग ) ।
```

टिप्पणी:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।
 - अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) <u>4-8 / 2006-</u>पार्ट-111

तारीखः शिमला–2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि०प्र० सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न00177—2620672

अधिसूचना

5. वानिकी उद्योग

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111 तारीखः शिमला

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01. 04.2017 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8 / 2006— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनो में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

	कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
	अकुशल कर्मकार		
1	वृक्षों का गिराना	रुपए 210.00	रुपए 6300.00
	1 लेापर (छांगी)	रुपए 225.55	रुपए 6767.00
	2. फैलर (गिरानी)	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
2	टिम्बर पासिंग सहित लॉगिंग एण्ड		
	स्वाईंग		
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
	2. सायर (चिरानी)	रुपए 280.50	रुपए 8415.00
	3. ब्लैकरिमथ	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
3	मैनुअल लेबर द्वारा कैरेज, स्टेकिंग एण्ड र्	टेम्बर पासिंग	
	1. कैरेज के लिए मजदूर		
	2. टिम्बर की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
	मजदूर	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
4	एरियल रोप वेज द्वारा टिम्बर का कैरेज ।		
	1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 280.50	रुपए 8415.00

	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
5	कैरेज बाई वाटर स्लाइड (पक्की नाली) व (पत्थरू) नालाबहान दरिया बहान (रीवर		
	(अर्थर) नालाबहान दारवा बहान (रावर 1. मोहरी वाला मिस्त्री	•	TIII 0455 00
	•		रुपए 9155.00
	2. तारू	रुपए 290.27	रुपए 8708.00
	3. एसिसटैंट मिस्त्री (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 267.12	रुपए 8014.00
	4. दरियामैन	रुपए 290.27	रुपए 8708.00
	5. घालू	रुपए 237.17	रुपए 7115 .00
	6. जमादार	रुपए 227.17	रुपए 7115.00
6	मकैनाइजड लोगिंग तथा टिम्बर एक्सट्रैकशनः		
	1. सर्वेयर	रुपए 282.57	रुपए 8477.00
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 239.30	रुपए 7179.00
	4. कम्प्रेशर ड्राइवर	रुपए 239.30	रुपए 7179.00
7	क्लैरिकल स्टाफ :		
	1. मैनेजर	रुपए 335.12	रुपए 10054.00
	2. एकाउन्टैंट	रुपए 243.97	रुपए 7319.00
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
8	सॉ मिल वर्कर :		
	1.बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
	2.सुपरवाइजर	रुपए 256.29	रुपए 7689.00
	3.हैड मिस्त्री	रुपएं 259.40	रुपए 7782.00
	4.वायलर ड्राइवर	रुपए 259.40	रुपए 7782.00
	5.एसिसटैंट मिस्त्री	रुपए 220.17	रुपए 6605.00
	6.पलेनर मिस्त्री	रुपए 220.17	रुपए 6605.00
	7.हैल्पर	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
	8.कटर मैन	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
9	कत्था एक्सट्रैक्शन :		
	1. फैलर तथा चिपर	रुपए 216.12	रुपए 6484.00
	, ,,		

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी), ओवरसियर, हैडफोरमैन

2. कत्था सुपरवाईजर / कत्था प्रौसेसर

रुपए 314.50 दैनिक रुपए 9435.00 मासिक

रुपए 215.55 रुपए 6467.00

टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- उहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111 तारीखः शिमला-2 22-**07-2017**

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177.2620672

अधिसूचना

6.रसायन एंव रसायनिक उत्पाद

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111 तारीख : शिमला

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रसायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8 / 2016— पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनो में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग संशोधित न्यूनतम दरें दैनिक मासिक अकुशलः रूपए रूपए 210..00 6300.00 अर्धकुशलः दैनिक मासिक रूपए

218.47

रूपए 6554.00

एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, ऐसिसटेंट टर्नर,एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकिस्मथ, एसिटेंट—कापरमैन, री—इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट—कलटीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलटमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड—।, मशीन लेवलर, सलैक्टर,कटर कम मार्किट सैलर अम्पुलर,हैगमैन. आई॰टी॰आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।

कुशलः दैनिक मासिक

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैक्स्मिथ, प्लांट रूपए आपरेटर मैंसन, कारपेंटर, एसिटेंट—फोरमैन, हैड—जमादार, बॉयलर एटेंडेंट 254.17 ग्रेड—।।,वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन,ईंजन ड्राइवर, ड्राफटसमैन, एसिस्टैंट—कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर / क्लर्क (मैट्रिकुलेट), सेल्ज मैन, रिसेप्शिनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर । आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं।

दैनिक मासिक

उच्च–कुशलः

बॉयलर अटेंडैंट (प्रथम श्रेणी),ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।

रूपए रूपए

314.50 9435.00

टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेत् नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है ,जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीखः शिमला–2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांकद 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177—2620672

अधिसूचना

7.इंजीनियरिंग उद्योग

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2016-पार्ट-111

तारीखः शिमला

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8/2006—पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनो में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

कर्मकारों का वर्ग संशोधित

न्यूनतम मजदूरी

दैनिक मासिक

रूपए रूपए

210.00 6300.00

अकुशल

अर्धक्शलः

टेपर ग्रेड—III, र्टनर ग्रेड— III, ड्रीलर ग्रेड— III, रोमर ग्रेड— III, शेयर मैन ग्रेड— III, मशीनमैन,मशीनिस्ट / आपरेटर ग्रेड— III, ब्रजर ग्रेड— III, हैड स्पीनिंग बाइंडर / लाइनर ग्रेड— III, प्रैस आपरेटर ग्रेड— III, स्प्रे पेंटर ग्रेड— III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड— III,असैम्बलर ग्रेड— III,कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड— III, मैटिरियल चैकर, फिटर फ्रेम,नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड— III, मोपर ग्रेड— III ,ग्राइंडर ग्रेड— III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड—मकैनिक, आपरेटर ग्रेड— III, थ्रेड / रोलर आपरेटर ग्रेड— III, बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड— III, फीडर ग्रेड— III, डाइमेकर ग्रेड— III, बैल्डर ग्रेड— III, टिनिस्मथ ग्रेड— III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड— III, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड— III,बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड— III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड III, आयलमैन।

रूपए रूपए 218.47 6554.00

कुशलः

टेपर ग्रेड— II,टर्नर ग्रेड— II, ड्रिलर ग्रेड— II, शैपर ग्रेड— II , शैपर मैन ग्रेड— II,स्लाटरमैन ग्रेड— II, मकैनिस्ट आपरेटर / ब्रजर ग्रेड— II,लाईनर ग्रेड— II,स्प्रे पैन्टर ग्रेड— II, ट्रांस्फर मिकसर ग्रेड— II,प्रेस आपरेटर ग्रेड— II , असैवंलर ग्रेड— II,टेलर ग्रेड— II,इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड— II, मोपर ग्रेड— II,ग्राईडर ग्रेड— II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड— II,थ्रेड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड— II,वुक स्कर्यू मशीन आपरेटर ग्रेड— II, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड— II, फिटर ग्रेड— II, कारपेंटर / पैटरन मेकर ग्रेड— II, डाईमेकर ग्रेड— II, साइस्टर ग्रेड— II, वैल्डर ग्रेड— II II, टिनिस्मथ ग्रेड— II, हैमरमैन ग्रेड— II, ब्लैकिस्मथ ग्रेड— II, टूलसैटर ग्रेड— II, ईलैक्टरीकल लाईनमैन ग्रेड— II, ईलेक्ट्रीशन ग्रेड— II, आरमैचर वाईंडर और क्वाईल वाईंडर ग्रेड— II, केबल ज्वाईटर ग्रेड— II, वाऊचर इंस्पैक्टर ग्रेड— II, लिस्टर डीजल ईन्जन ड्राईवर ग्रेड— II, मोल्डर ग्रेड— II,सुपरवाईजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है।

रूपए रूपए 254.17 7625.00

उच्च–कुशल:–

टर्नर ग्रेड— I,ग्राईडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड— I, शेपर मैन ग्रेड— I, सलाटरमैन ग्रेड— I, मिलर ग्रेड— I, इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड— I, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड— I,िफटर ग्रेड— I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड— I,डाईमेकर ग्रेड— I,एन्ग्रेवर ग्रेड— I, व्लैकिस्मिथ ग्रेड— I,डाईसैटर ग्रेड— I,टूल सैटर ग्रेड— I,इलैक्ट्रीशियन ग्रेड— I ।

् कैशियर (मैट्रिक्लेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर।

रूपए रूपए 314.50 9435.00

रूपए रूपए 230.02 6901.00

टिप्पणी:

क्लेरिकल स्टाफः

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार, है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके। आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177.2620672

अधिसूचना

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)

संख्याः श्रम (ए) <u>4–8 / 2006–</u>पार्ट–111 तारीख : शिमला

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8/2006—पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम

मजदूरी

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़नें, स्प्रे करने, खाद देने, रूपए रूपए छायावरण (शेड लॉपिंग) के लिए, छार्टिंग, कांट —छांट करने, गुड़ाई करने, 210.00दैनिक 6300.00मासिक तुड़ाई आदि के कार्य में नियोजित अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात ।

ए—ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला——12 किलोग्राम से अधिक के रूप में चाय पत्तियां तोडता है, तो उसे प्रात्साहन के रूप में 15.20 रू० प्रतिकिलोग्राम अतिरिक्त मिलेंगे।

बी ग्रेंड पत्तियां——यदि पतियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोडता है, तो उसे प्रोत्साहन के रूप में 11.80 रू० प्रतिकिलोग्राम अतिरिक्त मिलेंगे

सी ग्रेंड पत्तियां———यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे प्रोत्साहन के रूप में 8.52 रू० प्रति किलोग्राम अतिरिक्त मिलेंगे । पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को कमशः चाय पत्तियों के —'ए','बी व 'सी' ग्रेड के लिए 15.20 रू०, 11.80 रू० और 8.52 रू० प्रति किलोग्राम की दर से मिलेंगे ।

अर्द्धकुशलः

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 214.56रू० प्रतिदिन, 6437.00 रू० प्रतिमास मिलेंगें ।

कारखाना : रूपए 210.00 दैनिक और रूपए 6300 मासिक इसमें लिफ्ट मजदूर, विदरिंग मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला) रैलिंग रूम वर्कर, शिफ्टिंग मजदूर, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार, टी ब्वाएज, सार्टज, टी–मेकर्ज,टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं ।

प्लांटेशन :

210.00 रूपए दैनिक और रूपए 6300.00 मासिक

क्लीनर, असिस्टेंट कलीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीर्ज आदि जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर,माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ

वार्यालय कर्मचारिवृन्द ऑफिश स्टाफ

- 1. लेखाकार रूपए 355.22 प्रतिदिन रूपए 10,657.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास।
- 2. लिपिक रूपए 254.17 प्रतिदिन रूपए 7625.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास।
- 3. मुन्शी रूपए २६९.५३ प्रतिदिन रूपए ८०८६.०० प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।
- 4. चपडासी / रूपए 214.57 प्रतिदिन रूपए 6437.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधा चौकीदार / जो अनुज्ञेय हैं। चौधरी

		दैनिक	मासिक
5.	कम्पाउन्डर	रूपए 324.27	रूपए 9728.00
6.	ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर)	रूपए 284.12	रूपए 8524.00
7.	मकैनिक	रूपए 327.40	रूपए 9822.00
8.	एसिसटैन्ट मकैनिक	रूपए 282.57	रूपए 8477.00
9.	इलैक्ट्रीश्यिन $-$ कम $-$ मकैनिक ग्रेड $ I$	रूपए 327.40	रूपए 9822.00
10.	इलैक्ट्रीश्यिन $-$ कम $-$ मकैनिक ग्रेड $ II$	रूपए 282.57	रूपए 8477.00

टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीखः शिमला–2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि०प्र० सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177.2620672

अधिसूचना

9.कारखाना अधिनियम,1948 की धारा—2 के खन्ड—(ट) में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापन

संख्याः श्रम (ए) <u>4-8 / 2006-</u> पार्ट-111 तारीखःशिमला-2

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा—2 के खण्ड—(ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—8 / 2006—पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

और अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

अकुशल कर्मकार अर्द्ध–कुशल रूपए 210.00 प्रतिदिन या रूपए 6300.00 प्रतिमास

रूपए 218.47 प्रतिदिन या रूपए 6554.00 प्रतिमास

कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)रूपए 254.17 प्रतिदिन या रूपए 7625.00 प्रतिमास उच्च कुशल रूपए 314.50 प्रतिदिन या रूपए 9435.00 प्रतिमास

टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी हैं, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि०प्र० सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177—2620672

अधिसूचना

10.होटल और रैस्टोरैंट

संख्याः श्रम (ए) <u>4-8 / 2006</u>-पार्ट -111 तारीखशिमला

22**-07-2017**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरैंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01. 04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पिटत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–8/2006–पार्ट फाईल–लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गिटत की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग	जहां	कोई	जहां	संयुक्त
	प्रसुविधा		आवास	और
	उपलब्ध	नहीं	खाना,चाय	आदि की
	करवाई गई	हੈ	प्रसुविधा	उपलब्ध
			करवाई गइ	ई है
	_		_	

अकुशल: 1. 2. 3.

हैल्पर / चौकीदार / चपड़ासी /स्वीपर /मसालची— रूपए 210.00 रूपए 184.47 दैनिक II /गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लॉकरूम दैनिक अटैंडेंट / पोटर/भिश्ति / वेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामगार जो रूपए 6300.00 रूपए 5534.00 मासिक अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो । मासिक

अर्ध कुशल कर्मकारः

पेंट्रीमैन / काफी—टी मेकर / चपातीमैन / सहायक रूपए 225.55 रूपए 200.11 दैनिक बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक वाईंडर / दैनिक सटिचर / रूलिंग / कटिंग / ऑक्शनर / माली प्रतिदिन रूपए रूपए 6003.00 मासिक / होटल गाईड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट 6767.00 मासिक फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट बैल्डर / असिस्टेंट ईलैक्ट्रिशयन / असिस्टेंट सेल्जमैन / असिस्टेंट बारबर / धोबी / प्रैसमैन / वॉयलरमैन / फिल्म रिवाईडर / वाटरवीअरर / असिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / वाइट वॉशर / पकौडा और चना मेकर / कलर्क (नॉनमैटिक) / असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट डिस्टीव्यूटर और मशीनमैन / इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट / आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।

क्शल कर्मकारः

ड्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर / रूपए 254.17 दैनिक रूपए 228.37 दैनिक बेकर / स्टीवरर्ड / बटलर / ड्राफटसमैन / रूपए 7625.00 मासिक रूपए 6851.00 मासिक टेलीफोन ओपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर / वियरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई०टी०आई० प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है । उच्च-कुशलः

```
स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) /अकाउटेंट रूपए 267.12 दैनिक रूपए 242.40 दैनिक / हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर रूपए 8014.00 मासिक रूपए 7244.00 मासिक / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक / इलैकट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग ) ।
```

टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशलः— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा.

प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-8 / 2006-पार्ट-111

तारीखः शिमला–2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि०प्र० सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0–0177–2620672

अधिसूचना

11 निजी शैक्षणिक संस्थान

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2016-पार्ट-111 तारीखः शिमला

22-07-2017

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–8/2006—पार्ट फाईल—लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार रु० 210.00 प्रतिदिन या रु० 6300.00 प्रतिमाह अर्द्ध—कुशल रु० 225.55 प्रतिदिन रु० 6767.00 प्रतिमाह कुशल रु० 254.17 प्रतिदिन रु० 7625.00 प्रतिमाह उच्च कुशल रु० 267.12 प्रतिदिन रु० 8014.00 प्रतिमाह

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
 - अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:--

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीखः शिमला–2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177—2620672

संख्याः श्रम (ए) 4-8 / 2006-पार्ट-111

तारीख शिमला–2,

22-07-2017

<u>अधिसूचना</u>

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के कर्मकारों अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—8/2006—पार्ट फाईल—लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—(2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

न्यूनतम मजदूरी

दैनिक मासिक

रू.6300.00

चपडासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्कीट पम्प ऑपरेटर का रू.210.00 सहायक,पम्प अटेन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर केन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्कीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक,टरनर का सहायक,इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक,वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्परेशर अटेन्डेट, जनरेटर अटेन्डेट, टीएम अटेन्डेट, कन्कीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन

का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोट्ररी अिसस्टेन्ट का सहायक, गोज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, ईन्जन फिटर का सहायक, डीजल ईन्जन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, कलीनर —कम—बेलदार,वॉशर मैन / वाशर मेड, ऑफिस वॉय, कले कलीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनींग प्लांट सहायक, सुपरवाईजर का सहायक, मेस सहायक, सफाई कर्मचारी।

रू. 6810.00

(2) अर्ध-कुशल कर्मकार :--

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर,, कनिष्ठ रू.227.00 जेडब्ल्यूआर केन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठएक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ऑटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर,कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्परेसर अटेन्डेट, जनेरेटर लोकोमोटिव अटेन्डेट, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोट्ररी सहायक, गोज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनेरेटर सेट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल ईन्जन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटैण्डेंट, सहायक सरवेयर, कार्यालय अटेन्डेट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रेपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कंप्लैट अटेन्डेट, कनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली ।

(3) कुशल कर्मकार :--

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बेचिंग प्लांट रू.254.17 रू.7625.00 ऑपरेटर, क्रिशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जेनटरी ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर,लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक / जम्भू ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन,फिटर, स्टील फिक्सर,

लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रीशियन, पैन्टर, डेन्टर ,मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाईजर,कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाईजर, (माईंनिंग बलास्टींग) चालक, मोबाईल केन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाईड्रो केन ऑपरेटर, सरवेयर, सकेप ऑपरेटर, बोबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोर्टर बाईडंर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर,स्टोर कीपर, लेखा कलर्क, कर्लक, कम्पयूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), धोबी ।

(4) उच्च- कुशल कर्मकार :--

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर रू.314.50 ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिगं मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिश्ठ बेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक, (भारी परिवहन यान), टावर केन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सरे, केबल ज्वाईटंर, वरिष्ठ ब्लास्टर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर. ऑपरेटर. 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, वरिष्ठ ए०सी० प्लांट कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट,खलासी (8 वर्ष से अधिक का अनुभव)।

टिप्पण:

 एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

रू.9435.00

- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर जन—जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवगों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी / लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अनुसूचित जन जातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:--

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी हैं, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177.2620672

संख्याःश्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-111 तारीख शिमला-2,

22-07-2017

अधिसूचना

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अपैल, 2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—8/2006—पार्ट फाईल—लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी ,जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत कर रहे कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल,2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशलः	न्यूनतम	मजदूरी
	दैनिक	मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी (प्रयोगशाला)	रू.210.00	₹5.6300.00
हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपिंग हैल्पर, चपडासी, ।		
(2) अर्द्ध—कुशल:—		
तकनिशियन (डी० फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स	रू.218.47	₹5.6554.00
(आईटीआई), पीडब्लयू ऑपरेटर, माली, सिकयोरिटी गार्ड,		
एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट		
अटेन्डेट,।		
(३) क्वालः		

(3). কুशल:

आफिसर (बी फार्मा), टेकनीकल सुपरवाईजर (आईटीआई रू.254.17 रू.7625.00 डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिकयोरिटी सुपरवाईजर, इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशिअर ।

(4) उच्च कुशलः

सेल्ज आफिसर, सेल्ज एग्जीक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन एम्पलाई, रू.314.50 रू.9435.00 मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव , बी० फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी केमिस्ट, स्टेनो ग्राफर । टिप्पणः

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध–कुशल/कुशल/उच्च–कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:–
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा समनुदेशित कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया है, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) <u>4-8 / 2006</u> पार्ट – 111 तारीखः शिमला – 2 22 – **07 – 2017**

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि०प्र० सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177.2620672

संख्याः श्रम (ए) <u>4-8 / 2006-</u>पार्ट-111 तारीख शिमला-2,

22-07-2017

अधिसूचना

14. अस्पताल / नर्सिंग होम और क्लीनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल / नर्सिंग होम और क्लीनिक "के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—8/2006— पार्ट फाईल—लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी ,जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन,चाय और उपलब्ध नहीं संयुक्त आवास सुविधा करवाई गई है उपलब्ध करवाई गई है

(1) अकुशलः

हैल्पर, कलीनर, चौकीदार, / वाच मैन, चपडासी, रू.210.00 दैनिक रू.184.47 दैनिक रूम ब्वाय ,आफिस ब्वाय, वार्ड ब्वाय,मसालची। रू.6300.00 मासिक रू.5534.00 मासिक

(2) अर्ध– कुशलः

कलीनिक अटेन्डेट, एसीसटेन्ट लैबोरेटरी रू.225.55दैनिक रू.199.12 दैनिक तकनिशियन, सिकयोरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन रू.6767.00 मासिक रू.5974.00 मासिक ऐसीस्टेन्ट, एसीसटेन्ट स्टोर कीपर, एसीसटेन्ट मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट।

(3). कुशल:

रिसेप्सिनिशट, फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी रू. 254.17 दैनिक रू.228.37 दैनिक तकिनिशियन, एक्सरे तकिनिशियन, एएनएम, ट्रेंड रू. 7625.00 मासिक रू.6851.00मासिक दाई, इलैक्ट्रीशियन, रेडियो ग्राफर,ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट,चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरशन थियेटर तकिनिशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट,स्टोर कीपर,एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाईजर, कुक,धोबी ।

(4) उच्च कुशल कर्मकार:-

स्टाफ नर्स, सिकयोरिटी सुपरवाईजर, वरिष्ठ रू. 267.12 दैनिक रू.242.40 दैनिक इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ तकनिशियन, वरिष्ठ रेडियो रू. 8014.00 मासिक रू.7272.00 मासिक ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर।

टिप्पण:

- 1, एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

(i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उससे अपेक्षा समनुदेशित कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया है, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीखः शिमला–2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177—2620672

संख्याः श्रम (ए) 4-8 / 2006-पार्ट-111

तारीख शिमला–2,

22-07-2017

अधिसूचना

15. घरेलू कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"घरेलू कर्मकार"** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—8/2006— पार्ट फाईल—लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 27.04.2017 को हुई थी ,जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा	जहां भोजन,चाय
	उपलब्ध नहीं	और संयुक्त आवास
	करवाई गई है	सुविधा उपलब्ध
(1) अकुशल:–		करवाई गई है
हेल्पर,आया, कलीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन ।	रू. 210.00 दैनिक	रू.156.00 दैनिक
	रू. 6300 / मासिक	रू.4680.00 मासिक
(2) अर्द्ध– कुशल कर्मकार :–		
सिक्योरिटी गार्ड, माली ।	रू. 225.55 दैनिक	रू.166.88 दैनिक
	रू. 6767 / मासिक	रू.5006.00 मासिक
(3) कुशल कर्मकार :		
कुक, चालक	रू. 254.17दैनिक	रू.186.92 मासिक
	क्त. ७६२५.००मासिक	रू.5608.00 मासिक

टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्याक 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी, उस प्रवर्ग के लिए विहित समय—दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।
 - अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसका विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्यों के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने में सक्षम है वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है।

आदेश द्वारा.

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि०प्र० सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177.2620672

संख्याः श्रम (ए) <u>4-8 / 2006-</u>पार्ट-111 तारीख शिमला-2,

22-07-2017

अधिसूचना

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारो अन्य के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04. 2017 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—8/2006— पार्ट फाईल—लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी ,जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
(1) अकुशल:–	दैनिक	मासिक
स्वीपर / सफाई कर्मचारी, बेलदार,कार्टमैन।	₹5.210.00	₹5.6300.00
(2) अर्ध— कुशल:—		
वर्क सुपरवाईजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर,	₹5.218.47	₹5.6554.00
एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट।		
(3) কুখাল :		
चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्पयूटर	₹5.254.17	₹5.7625.00
ऑपरेटर,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।		
(4) उच्च कुशल:-		
कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपैक्टर,स्टेनो ग्राफर,	₹5.314.50	₹5. 9435.00

टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्याक 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 - 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।
 - अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसका विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यों के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करने में सक्षम है वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि०प्र० सरकार शिमला-2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फांन न0 0177—2620672

संख्याः श्रम (ए) <u>4-8 / 2006-</u>पार्ट-111

तारीख शिमला–2,

22-07-2017

<u>अधिसूचना</u>

17. सुरक्षा सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"सुरक्षा सेवाए"** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—8/2006—पार्ट फाईल—लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी ,जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा— (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
	दैनिक	मासिक
अकुशल:—	रू.210.00	रू.6300.00
हेल्पर, वॉच मैन ।		
अर्द्ध—कुशल:—		
सिकयोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट	रू.218.47	रू.6554.00
अटेन्डेट,।		
कुशल :		
सिकयोरिटी सुपरवाईजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर,एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क,	रू.254.17	रू.7625.00
कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर ।		

उच्च कुशल :-

सिक्योरिटी आफिसर , सिक्योरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर, एकाउन्टेन्ट । रू.314.50 रू. 9435.00

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और वयस्क या अवयस्क की न्युनतम मजद्री में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्याक 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्गों को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दरों से बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6 गैर जन—जातीय क्षेत्रों में अवस्थित "निमार्णाधीन हाईड्रो—इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी/लागू होगी।
- 7 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। जन जातीय क्षेत्रों में "निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं" में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है किन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्यों के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने में सक्षम है वह व्यवसाय

- (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीखः शिमला–2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला–4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177.2620672

संख्याः श्रम (ए) <u>4—8 / 2006—</u>पार्ट–111

तारीख शिमला-2,

22-07-2017

अधिसूचना

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्म**शालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कार्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को **01.04.2017** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—8/2006—पार्ट फाईल—लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी ,जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01. 04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन,चाय और उपलब्ध नहीं संयुक्त आवास सुविधा करवाई गई है उपलब्ध करवाई गई है ।

अक्शल :-

चपड़ासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय, बेलदार ।

रू.210.00 दैनिक रू.184.47 दैनिक रू.6300.00 मासिक रू.5534.00 मासिक

अर्द्ध–कुशल :

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, किनष्ड गेस्ट अटेन्डेन्ट, रू.225.55 दैनिक रू.199.12 दैनिक टेम्पल अटेन्डेट, भोग रूम अटेन्डेट, हॉल अटेन्डेट, रू.6767.00 मासिक रू.5974.00मासिक सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट।

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्न्ट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित, रू.254.17 दैनिक रू. 228.37 दैनिक कुक, मौलवी,ग्रन्थी,पादरी,स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, रू.7625.00 मासिक रू.6851.00 मासिक क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,

उच्च क्शल:-

कैशियर ।

सुपरवाईजर, सुपरिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन रू.267.12 दैनिक रू.242.40 दैनिक गायक,स्टेनो ग्राफर, एकाउन्टेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन रू.8014.00 मासिक

टिप्पण:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार से होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वितत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निवर्डन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्यों के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।

- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करनें में सक्षम है सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम है और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है ।

आदेश द्वारा.

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-111

तारीखः शिमला–2

22-07-2017

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि०प्र० सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177–2620672

संख्याः श्रम (ए) 4-8 / 2006-पार्ट-111

तारीख शिमला–2,

22-07-2017

11. _ _ 1

अधिसूचना

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कर्मकारो" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2017 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—8/2006—पार्ट फाईल—लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी ,जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2017 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा—(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01. 04.2017 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

AT-1- OT - T-

अकुशल:—	न्यूनतम दैनिक	मजदूरा मासिक
चपडासी, आफिस ब्यॉय, मसालची ।	रू.210.00	रू.6300.00
अर्द्ध–कुशल :–		
कैश कलेक्टर, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी,	रू.218.47	₹5.6554.00
सिकयोरिटी गार्ड,कम्पलेन्ट अटेन्डेट ।		
कुशल:—		
इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर	रू.254.17	रू.7625.00
ऑपरेटर, डाटा एन्द्री ऑपरेटर, कैशियर ।		
उच्च कुशल :-		
सुपरवाईजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनो ग्राफर, एकाउन्टेन्ट ।	₹5.314.50	ক.9435.00

- 1, एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और वयस्क या अवयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अधीन विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती कार्य (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी, उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।
 - अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अतिरिक्त उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अत्यल्प कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्यों के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित है।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करने में सक्षम है वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान अवश्य रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण करता है ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-4 ।
- 6 अतिरिक्त विधि परामर्शी—एवं अतिरिक्त सचिव (विधी) हि0प्र0 सरकार शिमला—2 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः 1-16/78 (Lab) M.W./2017 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(वेद प्रकाश), अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार। फोन न0 0177—2620672